रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3156] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2017/कार्तिक 24, 1939
No. 3156] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2017/KARTIKA 24, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

का.आ. 3600(अ).—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ड.) जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट बारह ऊर्जा संघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को तारीख 19 मार्च 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 12 मार्च, 2007 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के का.आ. सं. 394(अ) में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा अभिहित उपभोक्ता कहा गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने उपभोग की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा तथा ऊर्जा दक्ष अपेक्षित उपकरणों में बदलाव के लिए निवेश की राशि और उद्योग द्वारा अपेक्षित उपकरण तथा ऊर्जा दक्ष मशीनरी की उपलब्धता के विषय में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची का पुनर्विलोकन किया है और यह समाधान होने के पश्चात् कि विशिष्ट ऊर्जा खपत वाली पेट्रोरसायन इकाइयों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में शामिल करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश में निम्नलिखित और संशोधन करती है और निम्नलिखित ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, उप पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"13. गैस क्रैकर्स और नाफ्था क्रैकर्स–पेट्रोरसायन इकाइयां जो गैस क्रैकर्स या नाफ्था क्रैकर्स या दोनों से युक्त हैं और प्रतिवर्ष जिनकी ऊर्जा खपत 1,00,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और इससे अधिक है।"

[फा. सं. 10/2/2017-EC]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. सं. 394 (अ.), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 1388(अ) तारीख 2 मई, 2017 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

S.O. 3600(E).—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency has, in exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), hereinafter referred to as the said Act, notified twelve energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act as designated consumers *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order];

And whereas, the Central Government, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy efficient machinery and equipment required by the industry, and in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, and after being satisfied, has decided to amend the said order to include petrochemical units having specified energy consumption as designated consumers for the purposes of said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said Order and specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:—

In the said Order, after sub-paragraph 12, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"13.Gas Crackers and Naphtha Crackers–Petrochemical units having Gas Crackers or Naphtha Crackers or both and having energy consumption of 1,00,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.".

[F. No. 10/2/2017-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 394(E), dated the 12th March,2007 and was last amended *vide* notification number S.O. 1388(E), dated the 2nd May, 2017.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.16 18:48:22 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.